

उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग- 3

संख्या: 260 / वि. अनु. 3 / 2002

देहरादून: दिनांक: 15 फरवरी, 2002

कार्यालय प्राप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के एक सेवा विभाग Service Dept. द्वारा दूसरे सेवा विभाग को कोई सेवा व सम्पत्ति वर्तमान नियमों के अनुसार बिना मूल्य लिए की जाती है इस सिद्धान्त के अनुसार एक सेवा विभाग द्वारा कोई भूमि या भावन जिसकी उक्त विभाग को आवश्यकता न हो, दूसरे सेवा विभाग को बिना मूल्य लिए हस्तान्तरित की जा सकती है। परन्तु ऐसे मामलों में वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होती है। वित्तीय अधिकारों के विकेंद्रीकरण के सिद्धान्तों में वित्त विभाग को यह सुझाव दिया गया है कि भूमि हस्तान्तरण के मामलों में प्रशासकीय विभाग को पूर्ण अधिकार प्रतिनिहित कर दिये जायें। प्रस्ताव पर समुचित विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय प्रशासकीय विभागों के सचिवों को राज्य के एक सेवा विभाग द्वारा दूसरे सेवा विभाग को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत भूमि हस्तान्तरण करने के अधिकार प्रतिनिहित करते हैं।

1. भूमि का हस्तान्तरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों में भूमि के बाजार मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरण किया जा रहा हो वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तान्तरण किया जाये जितना काम विरोधा के लिए आवश्यक हो।
3. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं।
4. यदि भूमि वन विभाग की "रक्षित वन भूमि" हो तो वह हस्तान्तरण के बाद भी "रक्षित वन भूमि" बनी रहेगी। "रक्षित वन भूमि" के हस्तान्तरण से सम्बन्धित ग्रामवासियों की कोई आपत्ति न हो और हस्तान्तरित भूमि के उपयोग करने में साधारण सगी हुई वन भूमि और वन सम्पदा को कोई हानि नहीं कराई जायेगी।
5. वन विभाग दूसरे सेवा विभाग से हस्तान्तरित "भूमि को कोई मूल्य नहीं लेगा लेकिन यदि उस भूमि पर पेड़ इत्यादि अन्य वन सम्पदा हो तो प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा वन विभाग को उक्त वन सम्पदा का मूल्य भुगतान करना पड़ेगा।
6. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए वन विभाग से वन सम्पदा प्राप्त करना होगा, और यदि

शुद्धि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षों तक हस्तान्तरित शुद्धि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा ।

7. सीमा सड़क संगठन को अन्य सेवा विभागों की श्रावित्य शुद्धि सड़क निर्माण हेतु खननकरण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त निःशुल्क हस्तान्तरित की जायेगी ।

8. उत्तराखण्ड राज्य में स्थाित अन्य सरकारी शुद्धि सड़क निर्माण हेतु सीमा सड़क संगठन को निःशुल्क हस्तान्तरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शुद्धि पर पित्त राजकीय विभाग का स्वामित्व है, उसकी सठमति / अनापत्ति लिखितरूप से प्राप्त कर ली गई है ।

2. वित्तीय नियम संग्रह भाण्ड-1 में आवश्यक संगोचन यथा समय अल्प से किए जायेंगे ।

के० सी० मिश्र
अपर सचिव ।

संख्या: 264 / वित्त अनुभाग-5/2002, तद्विनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- ॥1॥ समस्त सचिव/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
॥2॥ महालेखाकार, उत्तराखण्ड ।

आज्ञा से
रमेश चन्द्र शर्मा
अनु सचिव, वित्त ।

